संख्या-26/18-2-2007-30(26)/2003

प्रेषक,

गोविन्दन नायर
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ - दिनांक : 16 जनवरी,2007

विषयः- उ0प्र0सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना एवं नियमावली।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या-1622/लघु उद्योग-एसएनडी-06, दिनांक 16.10.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना बनायी गयी है। योजना नियमावली संलग्न है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, एच0बी0टी0आई0/ लघु उद्योग सेवा संस्थान/ मेपडाइटैक्स/कानपुर।
4. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी./य.पी.एफ.सी./यू.पी.एस.आई.सी., कानपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आई0एल0, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, कानपुर।
8. महाप्रबन्धक, सिडबी, लखनऊ।
9. समस्त महाप्रबन्धक, जिलाउद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
10. औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने की कृपा करें।

आज्ञा से,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।

उ0प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन) योजना एवं नियमावली।

उद्देश्य

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति घोषित की गयी है तथा उद्योग मैत्री वातावरण पैदा कर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश विकास परिषद का गठन किया गया है। प्रतिस्पर्धा के इस वातावरण में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के जीवित रहने और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की वस्तुयें बनायी जाय और छोटे उत्पादक उत्तरोत्तर अपनी गुणवत्ता में सुधार करें तथा ऐसी प्रक्रिया से उत्पादन करे जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छी तकनीक वाली हो तथा उनकी उत्पादन लागत न्यूनतम हो सके।

अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की उपरोक्त आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी पूर्ति हेतु इन उद्योगों की तकनीकी उन्नयन योजना के क्रियान्वयन हेतु यह नियमावली बनायी गयी है जो वर्तमान ग्लोबल प्रतियोगिता हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आधुनिकतम तकनीकी के आयात/क्रय एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा उत्पादकता में सुधार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। इस नियमावली के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जायेंगीः-

(क) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के तकनीक की खरीद और आयात जिसके द्वारा गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, को मान्यता प्राप्त/सक्षम संस्थानों सरकारी संस्थाओं और शोध केन्द्रों से प्राप्त करने में व्यय की गयी धनराशि का 50% अनुदान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.50 लाख होगी।

(ख) सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50% पूँजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख होगी।

(ग) उपरोक्त (प्रस्तर-ख में अंकित) क्रय की गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5% वार्षिक की दर से दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 50,000.00 होगी तथा यह सुविधा 5 वर्ष तक दी जायेगी।

(घ) आई.एस.आई. या आई.एस.ओ. श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किए जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50% उपादान के रूप में देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख होगी।

(ड.) उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90% राशि अधिकतम सीमा रू0 50,000.00 तक अनुदान देय होगा।

उपरोक्त सुविधायें निम्न शर्तो के अधीन उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों जिनके द्वारा ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006'' के अधीन ज्ञापन (इण्टरप्रेन्योर्स मेमोरेण्डम) दाखिल किए गए हों, को प्रदान की जायेंगीः-

(1) योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधा/अनुदान प्राप्त करने के 5 वर्ष की अवधि के अन्दर यदि इकाई बन्द होती है तो योजना के अन्तर्गत समस्त प्रदत्त सुविधा/अनुदान इकाई को वापस करने होंगे। इसकी वसूली राजस्व नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 के अधीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की निर्धारित सीमा तक पूँजी निवेश किये जाने वाली इकाईयों को इस योजना के तहत सुविधायें अनुमन्य होंगी।

(3) योजनान्तर्गत देश के अन्दर तथा देश के बाहर से आयातीत आधुनिकतम विकसित तकनीक प्राप्त करने वाली सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को सुविधाएं /अनुदान अनुमन्य करायी जायेगी।

(4) बाजार तथा तकनीकी एवं उत्पादकता कौशल के अध्ययन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किए जाने पर ही उपादान देय होगा तथा इसका पैनल शासन द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित नियमावली के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-ख एवं घ में की गयी व्यवस्था से एक ही मद में दोहरा लाभ नहीं मिलेगा।

2. क्रियान्वयन की अवधि

योजना लागू होने की तिथि शासनादेश जारी होने की तिथि होगी तथा तद्तिथि अथवा उसके बाद अपग्रेडेशन करने वाली इकाईयों को सहायता अनुमन्य होगी, जो योजना अवधि तक प्रभावी होगी। योजना की क्रियान्वयन अवधि प्रस्तावित योजना के संचालन के अनुमोदन की तिथि से 05 वर्ष तक अथवा उस अवधि तक जब तक इसे उ0प्र0 शासन द्वारा बन्द नहीं कर दिया जाता है, होगी।

शासन को योजना में संशोधन के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तथा योजना का वर्षानुवर्ष क्रियान्वयन आय-व्ययक के आधार पर किया जायेगा।

3. परिभाषा

1. योजना से लाभान्वित होने वाली इकाईयों हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 (संख्या-27 आफ 2006) की धारा-2 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु इकाई की प्राविधानित परिभाषा लागू होगी तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयों हेतु प्राविधानित वर्गीकरण भी लागू होगा।
2. ज्ञापन (इण्टरप्रेन्योर्स मेमोरेण्डम) का तात्पर्य ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006'' की धारा-8 से है।

3. वित्तीय संस्था का तात्पर्य उ0प्र0 वित्तीय निगम, पिकप एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बैंक से है।

4. <u>योजना का प्रशासन एवं संचालन-</u>

(1) इस योजना हेतु प्रशासनिक विभाग का तात्पर्य उ0प्र0 सरकार के लघु उद्योग विभाग से होगा।

(2) योजना के संचालन हेतु आय-व्ययक की स्वीकृति तथा इस नियम के अन्तर्गत गठित संचालन समिति को मार्गदर्शन हेतु प्रशासनिक समित होगी जिसका गठन निम्नवत किया जायेगाः-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव,लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन	-	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन या उनका कोई प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो)	-	सदस्य
3.	सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन या उनका प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो)	-	सदस्य
4.	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश	-	सदस्य सचिव

(3) योजना का संचालन निम्नवत गठित समिति द्वारा किया जायेगा जिसे स्वीकृत, अनुश्रवण एवं मूल्याकन के अधिकार प्राप्त होंगेः-

1.	आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0	-	अध्यक्ष
2.	अपर निदेशक उद्योग/संयुक्त निदेशक उद्योग (जिसे उद्योग निदेशक नामित करे)	-	सदस्य सचिव
3.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम	-	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	-	सदस्य
5.	निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान	-	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक, भारतीय लघु उद्योगविकास बैंक, लखनऊ (या उनका प्रतिनिधि जो उपमहाप्रबन्धक स्तर से कम न हो)	-	सदस्य
7.	क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कानपुर	-	सदस्य
8.	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कन्सलटेंट, कानपुर	-	सदस्य
9.	अन्य सदस्य जो शासन द्वारा नामित हो	-	सदस्य

अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार संचालन समिति में सदस्य मनोनीत कर लें।

(4) बैठक

1. प्रशासनिक समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।
2. योजना के संचालन समिति की बैठक अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा आहूत की जायेगी और आवश्यकतानुसार होगी परन्तु इसे तीन माह में एक बार अवश्य किया जायेगा।

(5) कार्यवाही

समिति की बैठक की कार्यवाही के अभिलेख समिति के सचिव द्वारा रखे जायेंगे और समिति सेआगामी बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि करायी जायेगी।

(6) गणपूर्ति

संचालन समिति की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्यों से होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य द्वारा समिति की बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

(7) कार्यालय-योजना का कार्यालय उद्योग निदेशक के कार्यालय का लघु उद्योग अनुभाग होगा।

(8) संचालन समिति के सदस्य सचिव योजना के वितरण अधिकारी होगें और वही उसके लेखा के समुचित अनुरक्षण और वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

(9) वार्षिक रिपोर्ट संचालन समिति के सचिव द्वारा तैयार की जायेगी और संचालन समिति के अनुमोदन तथा सत्यापन के उपरान्त प्रशासनिक समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

5. <u>आय-व्ययक हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश</u>

(क) योजना हेतु वार्षिक बजट संचालन समिति के सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा और प्रशासनिक समिति के माध्यम से आय-व्ययक/ एस0एन0डी0 के रूप में प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) योजना में प्राविधानित सहायता की स्वीकृति-
संचालन समिति के सदस्य सचिव वित्तीय सहायता के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रचार के उपरान्त आमंत्रित करेंगे तथा उसे संचालन समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और इसके प्रारूप संचालन समिति द्वारा ही निर्धारित किये जायेंगे।

6. <u>राज्य स्तरीय तकनीकी उन्नयन परामर्श समिति</u>

वर्षानुवर्ष इस योजना मे देय सहायता के आधार पर औद्योगीकरण की दिशा में हुए प्रभाव का आंकलन किया जायेगा और एक राज्य स्तरीय तकनीकी उन्नयन परामर्श समिति के समक्ष वर्तमान स्थिति और योजना के वार्षिक क्रियान्वयन के उपरान्त होने वाले मूल्यांकन से अवगत कराया जायेगा। यह समिति सहायता के प्रारूप, विशेष उद्योगों के जोड़े जाने और औद्योगीकरण के नये क्षेत्र के सम्बन्ध में सम्यक तकनीकी नीति विषयक परामर्श देगी और परामर्शी की भूमिका निभाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से इस सम्बन्ध में वांछित अध्ययन और आख्या प्राप्त कर सकेगी। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जायेगाः-

(1)	निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर	-	अध्यक्ष
(2)	अपर निदेशक उद्योग, कानपुर	-	सदस्य सचिव
(3)	प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इण्डस्ट्रियल कन्सल्टेंट	-	सदस्य
(4)	डायरेक्टर, मैपडाइटैक्स	-	सदस्य
(5)	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ	-	सदस्य

आय-व्ययक का लेखाशीर्षक शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा आहरण वितरण का विवरण वर्षानुवर्ष महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया जायेगा।